संख्या– 1131 /33–3–2024

प्रेषक,

बी. चन्द्रकला,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक– 19 जुलाई, 2024

विषयः प्रदेश के समस्त जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत मार्ग में साफ–सफाई, प्रकाश तथा विश्राम स्थल की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–691/पी.एस.एम.एस./2024 दिनांक 18 जुलाई 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत सभी जिला पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों को अपने–अपने क्षेत्र में पड़ने वाले कांवड़ यात्रा मार्ग में साफ–सफाई, प्रकाश तथा विश्राम स्थल की व्यवस्था कराते हुये सम्पूर्ण यात्रा को सुचारु रुप से सम्पन्न कराए जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– उल्लेखनीय है कि श्रावण मास में कांवडियों द्वारा जलाभिषेक हेतु दिनांक 22 जुलाई 2024 से बहुतायत संख्या में कांवड़ यात्रा की जायेगी। इसके लिये ग्रामीण क्षेत्रों के कांवड़ यात्रा मार्ग में विशेष सफाई अभियान का आयोजन चलाया जायेगा। इस अभियान के अन्तर्गत समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में सघन रूप से विशेष सफाई (सफाई/सैनिटाइजेशन) मुख्यतः निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित करायी जायेंगी–

- माह में दिनांक 22 एवं 29 जुलाई, 05, 12, 19 अगस्त 2024 पड़ने वाले सोमवार में विशेष रुप से सभी व्यवस्थायें सुनिश्चित कराई जायेगी।
- कावड़ियों को विश्राम के लिये विश्राम स्थलों पर आवश्यक व्यवस्थायें यथा पेयजल, स्वच्छता सुविधायें, प्रकाश, विश्राम आादि की व्यवस्था की जायेगी। कांवड़ यात्रा के मार्गों/क्षेत्रों पर शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में जहां से जलाभिषेक हेतु जल भरते है उन नदियों/सरोवरों के घाटों, मार्गों, जल भराव वाले स्थानों पर विशेष सफाई के कार्य कराये जायेंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में शिव मन्दिरों/पूजा स्थलों पर नियमित रूप से साफ–सफाई का कार्य कराया जायेगा एवं सभी अपशिष्ट पदार्थों का दैनिक रुप से समुचित निपटान यथा कूड़ा संग्रहण केन्द्र (आर0आर0सी0) पर सुनिश्चित कराया जाना अनिवार्य होगा।
- इस हेतु विकास खण्ड में तैनात सफाई कर्मियों की टीम बनाकर घाटों एवं पूजा स्थलों/शिव मंदिर पर साफ–सफाई का कार्य किया जायेगा। इन कार्यों हेतु जहां सफाई कर्मी कार्यरत नही है अथवा आवश्यकता से कम हैं वहां यात्रामार्गों पर यथा–आवश्यकता यात्रा मार्ग से इतर ग्रामों के सफाईकर्मियों की टीम्स गठित कर विशेष स्वच्छता अभियान सुनिश्चित करायें।

Amit Sri.

- ग्राम पंचायतें आवश्यकतानुसार वित्त आयोग की धनराशि से वित्तीय नियमो का पालन करते हुए मशीनरी/श्रमिकों को लगाकर सफाई का कार्य करा सकते है।
- जिला पंचायत राज अधिकारी एवं सम्बन्धित उपनिदेशक (पं0) द्वारा निरन्तर इस अभियान की गतिविधियों एवं सफाई अभियान का अनुश्रवण किया जायेगा।
- जिला पंचायत के सभी मार्गों जिन पर कांवड़ यात्रा चलेगी उन्हें गड्ढा मुक्त तथा उन मार्गों पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत सभी जिला पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों को अपने–अपने क्षेत्र में पड़ने वाले कांवड़ यात्रा मार्ग में उपरोक्तानुसार व्यवस्था कराते हुये सम्पूर्ण यात्रा को सुचारु रुप से सम्पन्न कराने का कष्ट करें।

भवदीय

19/7/24

(बी.चन्द्रकला)

सचिव।

<u>संख्या व दिनांकः– तदैव।</u>

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक, पंचायती राज उत्तर प्रदेश।
3. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य अभियन्ता, जिला पंचायत प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त उप निदेशक (पं०), उत्तर प्रदेश।
7. समस्त, जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार राम)

अनु सचिव।

Amit Sri.